रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 1972/फाल्गुन 5, 1893
No. 65] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 1972/PHALGUNA, 5, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February 1972

G.S.R. 90(E).—The following order made by the President is published for general information:—

C.O. 92.

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) AMENDMENT ORDER, 1972

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, in sub-paragraph (22) (relating to the Seventh Schedule), in item (ii) of clause (a), for the figures and word ", 34 and 60", the words and figures "and 34" shall be substituted.

V. V. GIRI,
President.

[No. F.19(7)/71-LI.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt Secy.

विधि और न्याय मन्त्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 90(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

सं० आ० 92

संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 1972

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 370 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से, अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश करती हैं :—

(1) इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 1972 होगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के पैरा 2 में, उप-पैरा (22) में (सप्तम् अनुसूची से संबंधित) खण्ड (क) की मद (ii) में, ",34 और 60" अंकों और शब्द के स्थान पर "और 34" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

की वी० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० फा० 19(7)/71-एल० आय०]

एन० डी० पी० नम्बदिरीपाद, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972